रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

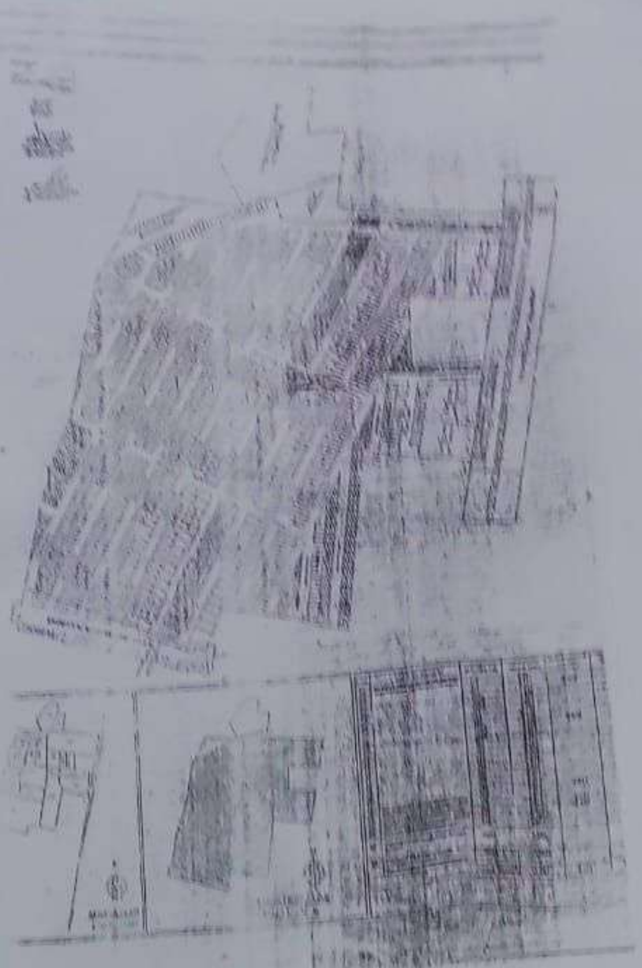

संबंधित विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष में एतद् द्वारा उनके वारिस/उत्तराधिकारी, दायाधिकारी, स्वत्वानुक्रिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, सम्नुदेशित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबंधक, व्यवस्थापक, अधिकृत प्रतिनिधि एवं वैध प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बंधनकारक रहेंगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे। उपरोक्तानुसार एक विविध भूखण्ड के विक्रय लेख का निष्पादन क्रेतापक्ष की पूर्ण सहमति से उनके हित में विक्रेतापक्ष ने निम्न साक्षीगण के समक्ष आज दिनांक को अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है, सो सनद रहे एवं आवश्यकतानुसार काम आवे। क्रेतापक्ष ने भी इस विक्रय पत्र में लिखी सभी बातों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर, समझकर, सही लिखा होना स्वीकार करके बगैर किसी दबाव के, स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर किये हैं। गवाहों ने निष्पादन के समय निष्पादकगण के समक्ष निष्पादन की गवाह की है।
उक्त विलेख में वर्णित जानकारी, दस्तावेज, पहचानपत्र, आदि हम उभयपक्षों द्वारा जांच पुष्टि कर सर्विस प्रोवाईडर से अपलोड कराये गये है, जो अपलोड कराया गया है वह भी हम उभयपक्षो द्वारा जांच,पुष्टि कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही सम्पदा में सुरक्षित करवाकर स्लाट प्राप्त किया गया है।